


कार्यालय राज्य लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ।

सार्वजनिक सूचना

माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार वादकारियों/विद्वान अधिवक्तागण के हितों को ध्यान में रखते हुए दिनांक 26.05.2020 से निम्न व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है:-

अधिकरण में रिपोर्टिंग अनुभाग में प्रत्येक कार्यदिवस को प्रातः 10.30 से 01.00 बजे अपराह्न तक याचिका, अवमानना व अन्य मामलों को संस्थित किया जा सकेगा। याचिका संस्थित किये जाते समय सुरक्षा की दृष्टि से कोविड-19 के संबंध में शासन द्वारा जारी गाइडलाइन्स का विद्वान अधिवक्ता एवं कर्मचारी द्वारा अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

दिनांक 22.05.2020


(प्रतिमा श्रीवास्तव)
निबंधक